संख्या: 15/2019 /598/ सत्रह-म-2019-6-9 (333) /2016 टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 06 जून, 2019

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण हेतु सामान्य मद में अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 224.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 127 /नि0शा0,2019-20 दिनांक 10 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण हेतु सामान्य मद में अवशेष धनराशि के सापेक्ष 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 224.40 लाख (दो करोड चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12012/27/2009-एफवाई(डब्ल्यू यू) दिनांक 31.12.2018 के माध्यम से मछुआ आवासों के निर्माण परियोजना हेतु कुल 1000 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 लाख का 60 प्रतिशत अर्थात रू0 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 720.00 लाख का अनुमोदन प्रदान करते हुए सामान्य मद में प्रथम किश्त के रूप में 448 आवासों के निर्माण हेतु रू0 322.56 लाख (केन्द्रांश रू0 322.46155 लाख स्वीकृति के रूप में +रू0 0.09845 लाख को पूर्व में संचालित मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार में अवशेष धनराशि के समायोजन के रूप में) अवमुक्त किया गया था। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-4/2019/298/ सत्रह-म-2019-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 01.03.2019 द्वारा चिन्हित 353 मछुआ आवासों के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रू0 423.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी,जिसके सापेक्ष विगत वर्ष योजनान्तर्गत धनराशि रू0 199.20 लाख का व्यय हुआ और रू0 224.40 लाख की धनराशि अवशेष रही। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त अप्रयुक्त/ अवशेष केन्द्रीय सहायता को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना की मछुआ आवास योजनान्तर्गत 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों के निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष/ पुनर्वैध धनराशि रू0 224.40 लाख (दो करोड चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 134.64 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 89.76 लाख) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक-1 की तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/ गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज आर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर- 5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा प्रस्तर- 9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT MODULE OF PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्श्यिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019 -20 में अनुदान संख्या -17 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज, 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019 -231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 15/2019 /598(1)/सत्रह-म- 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक- 1

(शासनादेश संख्या: 15/2019 /598 /सत्रह-म-2019-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 06 जून, 2019)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सामान्य वर्ग हेतु मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	फतेहपुर	20	7.20	4.80	12.00
2	सिद्धार्थ नगर	20	7.20	4.80	12.00
3	शाहजहॉपुर	20	14.40	9.60	24.00
4	अयोध्या	20	7.20	4.80	12.00
5	चित्रकूट	20	7.20	4.80	12.00
6	चन्दौली	20	7.20	4.80	12.00
7	बलिया	20	7.20	4.80	12.00
8	बलरामपुर	20	7.20	4.80	12.00
9	सोनभद्र	20	7.20	4.80	12.00
10	वाराणसी	20	7.20	4.80	12.00
11	बहराइच	20	7.20	4.80	12.00
12	आगरा	20	7.20	4.80	12.00
13	गोरखपुर	20	7.20	4.80	12.00
14	श्रावस्ती	20	7.20	4.80	12.00
15	फिरोजाबाद	53	19.44	12.96	32.40
16	देवरिया	20	7.20	4.80	12.00
	कुल योग -	**353**	**134.64**	**89.76**	**224.40**

(कुल रूपया दो करोड चौबीस लाख चालीस हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।